अनाची / दुर्गा 16/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.4.25	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8.4.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
8.4.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट......रीमाण्ड...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
15.4.25	प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5(2) CPC का प्रार्थना पत्र वकील रेस्पो. ने प्रा.पत्र पेश किया। प्रा. पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा.पत्र का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। न्यायहित में प्रा.पत्र O 41 R 5(2) स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 8.4.25 की क्रियान्विति 15 दिवस या अपील प्रस्तुत होने तक स्थगित की जाती है। उभय पक्षों को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 16/2022

1 अणची बेवा मुलाराम उम्र 70 साल
2 चेतराम उम्र 43 साल पुत्र मुलाराम
3 लालचन्द उम्र 37 साल पुत्र मुलाराम
4 राजेन्द्र उम्र 34 साल पुत्र मुलाराम
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4/अपीलांटस

बनाम

1 दुर्गा उम्र 78 साल बेवा भागीरथ पुत्र फूसा
2 बनवारी उम्र 53 साल पुत्र भागीरथ पुत्र फूसा
3 कृष्ण उम्र 46 साल पुत्र भागीरथ पुत्र फूसा
4 औमप्रकाश उम्र 44 साल पुत्र भागीरथ पुत्र फूसा
5 वासुदेव उम्र 34 साल पुत्र भागीरथ पुत्र फूसा
6 मनकोरी बेवा नानगराम उम्र 78 साल फूसा
7 रामस्वरूप उम्र 48 साल पुत्र नानगराम पुत्र फूसा
8 पोखर उम्र 46 साल पुत्र नानगराम
9 पप्पू उम्र 38 साल पुत्र नानगराम
10 मुकेश उम्र 33 साल पुत्र नानगराम
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

वादीगण/रेस्पोडेन्टस

11 उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 राजस्थान ग्रामीण बैंक पीपराली जरिये प्रबंधक (हाल बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
13 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ उप तहसील पलसाना जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपराली जरिये व्यवस्थापक

प्रतिवादी संख्या – 5 लगायत 8/रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2022 पारित द्वारा
सरिता आरएएस सहायक कलेक्टर मु. सीकर अ. रेवेन्यू वाद संख्या
23/2014 उनवानी दुर्गा आदि बनाम अणची आदि में पारित
निर्णय व डिक्री के विरूद्ध।

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 10 ने एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 360 जिसके नये खसरा नम्बर 1699, 1700, 1701 व खसरा नम्बर 387 के नये खसरा नम्बर 1687 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय व डिक्री के पेज नम्बर 10 में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत ' इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी गिरदावरी संवत 2009 से 2033 तक का अवलोकन करने पर भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादग्रस्त सम्पदा पर वादीगण का कब्जा पूर्वजो के समय से ही रहा है' जबकि वादीगण द्वारा प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेज का विवरण अपने निर्णय के पेज नम्बर 7 पर अंकन किया गया है जिससे यह स्वतः प्रमाणित है जब गिरदावरी संवत 2009 से 2033 तक के दस्तावेज विचारण न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किये हुए थे तो न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजो का अवलोकन कहा से किया गया मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अभिवचनों के आधार पर साक्ष्य के विरूद्ध तथा कानून के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री अवैध व प्रभावहीन होने के कारण शुन्य घोषित किये जाने योग्य है। कब्जे के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा न तो तहसीलदार से जांच करवाई न पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की प्रदर्श 23 मौका कमिश्नर रिपोर्ट जो आदेश 39 नियम 7 सीपीसी के तहत दर्ज किया गया है कमिश्नर रिपोर्ट को कब्जे के सबूत के तौर पर काम में नहीं लिये जाने का प्रावधान होते हुए भी चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने चुनौतीग्रस्त निर्णय में अंकन किया है इसके अतिरिक्त वादीगण ने जो न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1978 पेज नम्बर 552 का अवलोकन किया जावे तो गिरदावरी कब्जे के अधिकार के तौर पर मान्य किये जाने वाला दस्तावेज नहीं है। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज मूलाराम को खातेदारी अधिकार उसका कब्जा तथा विरासत के आधार पर मान्य करके तथा न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 17.08.1994 के आधार पर प्राप्त हुई उक्त निर्णय व डिक्री के संबंध में विचारण न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध सावधि कोई अपील प्रस्तुत नहीं की हुई होने की स्थिति प्रमाणित होते हुए भी चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के निर्णय के पेज नम्बर 8 पर वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का वर्णन किया गया है जिसमें आरएलडब्ल्यू 2008 (1) राज. पेज 479 का अंकन किया गया है तथा उक्त नजीरों को विचारण न्यायालय ने इस प्रकरण पर चस्पा होना मान्य कर चुनौतीग्रस्त निर्णय व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिक्री पारित की गई जबकि उक्त न्यायिक दृष्टांत आपराधिक प्रकरण अंतर्गत धारा 302 व 309 आईपीसी के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में है से संबंध में है इससे यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा न तो न्यायिक नजीरों को समूचित रूप से अवलोकन किया ना ही दस्तावेजी साक्ष्यों का समूचित अवलोकन किया। कब्जा स्पष्ट रूप से विशिष्ट क्षेत्र पर पूर्ण रूप से साबित किये जाने का प्रावधान है जबकि विचारण न्यायालय ने वादीगण संख्या 1/5 को 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्से का वादीगण संख्या 5 लगायत 10 को खातेदार काश्तकार घोषित करने का जो आदेश पारित किया गया है उसका उल्लंघन किस तथ्य व दस्तावेज के आधार पर किया गया उसका कोई अंकन अपने निर्णय में ना तो अभिकथन किया ना ही कब्जे संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त की ना ही कब्जे की जांच विचारण न्यायालय द्वारा करवाई गई ऐसा स्थिति में पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में जो कदीम से कब्जा काश्त होने का अंकन कया गया है ये स्वीकृत तथ्य है कि संपदा का स्वामित्व अपीलांट/प्रवितादी संख्या 1 लगायत 4 के पास है। वाद संस्थापन से पूर्व कानून में निर्धारित अवधि का कब्जा साबित हुए बिना ही चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों का कानून का समूचित अवलोकन किये बिना चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज 1136, डीएनजे 2013(2) राज पेज 725, आरआरडी 14.06.2012 पेज 393, डीएनजे 2016(2) राज. पेज 473, आरआरडी 14.08. 2011 पेज 508 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि मृतक फुसा के तीन लड़के क्रमशः भागीरथ, मूलाराम, नानगराम हुए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। भागीरथ एवं नानगराम के वारिस वादीगण है। मूलाराम अपने पिता सव. फुसा के जीवनकाल में बिरदा के गोद चला गया जिससे मृतक मूलाराम के वारिसान प्रति. सं. 1 ता 4 है। ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में पुरानी भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 15 बीघा 19 बिश्वा,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

खसरा नम्बर 387 रकबा 4 बीघा 1 बिश्वा कुल किता 2 रकबा 20 बीघा स्थित थी। जिसकी खातेदारी बिरदा पुत्र गणेश कोम बलाई निवाासी श्यामपुरा के नाम दर्ज रही। इसके बाद सेटलमेंट विभाग ने उक्त पुराने खसरा नम्बर 360 के नये खसरा नम्बर 1699 रकबा 1.7 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1700 रकबा 1.53 है., खसरा नम्बर 1701 रकबा 0.81 हैक्टेयर कायम किये एवं पुराने खसरा नम्बर 387 के नये खसरा नम्बर 1687 रकबा 1.02 हैक्टेयर कायम किये। इस प्रकार से कुल किता 4 रकबा 5.06 हैक्टेयर कायम किये, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 पिता 4 के नाम दर्ज रिकार्ड हो रही है, जबकि उक्त भूमियों पर शुरू से ही यानी काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादीगण के पूर्वज स्व. फुसा का ही कब्जा काश्त रहा है। फुसा की मृत्यु के पश्चात वादीगण के पति व पिता स्व. भागीरथ व नानगराम का कब्जा काश्त रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस वादीगण का मौके पर कदीम से कब्जा काश्त है। वादीगण के पूर्वज स्व. फुसा ही काश्त किया करता था, जिसको बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ पूर्व में खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है परन्तु विवादित भूमियों की गलत खातेदारी पूर्व से ही स्व. बिरदा के नाम दर्ज हो जाने से उसके पश्चात उसके वारिसान के नाम दर्ज हो जाने से वादीगण अपने नाम से खातेदारी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से ही रहा है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श 23 से भी वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा साबित है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद में अपना कब्जा काश्त साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1978 पेज 512, आरआरसी दिस. 1988 पेज 556, डीएनजे 2012(1) राज पेज 71, आरएलडब्ल्यू 2008(1) आरजे पेज 479, आरआरडी जुलाई 2002 पेज 356, आरआरडी 14.08.2010 पेज 509 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय में वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर 4 तनकीयात कायम की गई थी। उभयपक्ष द्वारा वाद कथन के समर्थन में जमाबंदी संवत 2067–70 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02, मिलान क्षेत्रफल ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, जमाबंदी संवत 2016–20 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04, नामान्तकरण संख्या 96 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–05, जमाबंदी संवत 2025–28 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–06, नामान्तकरण संख्या 19 की प्रमाणित प्रति प्रदश–07, जमाबंदी संवत 2051–54 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–08, जमाबंदी संवत 2059–62 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतरामगढ़ की प्रति प्रदर्श–09, गिरदावरी संवत 2009–11 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–10, गिरदावरी संवत 2013–16 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–11, गिरदावरी संवत 2018–19 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–12, गिरदावरी संवत 2030–33 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–13, दावा संख्या 45/88 की आर्डरशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–14, राजीनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–15, जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–16, न्यायालय अपर जिला जजी, सीकर की संशोधित टाईटल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–17, दावा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–18, जवाब दावा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–19, आवेदन कायम मुकामी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–20, बयान गवाह मूलाराम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–21 बयान गवाह जोधाराम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–22, मौका कमिश्नर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–23, टी.आई. दुर्गा बनाम अणची आदि की आर्डरशीट 22/14 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–24 प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य में वादीगण ने शपथ पत्र बनवारीलाल पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर शपथ पत्र मनकोरी बेवा नानगराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर शपथ पत्र भगवाना पुत्र तुलछांराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर शपथ पत्र रामेश्वर पुत्र गोरूराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर, शपथ पुत्र भगवाना पुत्र आशाराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर पेश किए गए। प्रतिवादीगण ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जमाबंदी संवत 2021–24 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 2025–28 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 2029–32 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 2033–36 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 2037–40 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 2042–45 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 01.04.1994 से 31.03.2014 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 2067–70 ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति पेश की। साक्ष्य में शपथ पत्र चेतराम पुत्र मूलाराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर शपथ पत्र हरदेवा पुत्र पेमाराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर, शपथ पत्र अणची बेवा मूलाराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर शपथ पत्र सोहन पुत्र गणेशराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर शपथ पत्र महावीर पुत्र चुन्नाराम निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर का पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का कोई भी विवेचन किये बिना, आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विधि के आलोक में तनकीवार विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 8/1/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर